डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण

1. राजेन्द्र विश्नोई पुत्र बीरबलराम
2. बुधाराम पुत्र बीरबलराम
3. प्रकाश विश्नोई पुत्र बीरबलराम
   जाति विश्नोई निवासी राणेरी
   तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बीरबल पुत्र भारता जाति विश्नोई
   जाति विश्नोई निवासी राणेरी
   तहसील बाप जिला जोधपुर
2. शाखा प्रबन्धक जो.स.भूमि विकास बैंक
   लि. शाखा फलोदी तह. फलोदी

मुकदमा संख्याः— 114 / 2019

वा बाबत् 88 आर.टी.एक्ट

ह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री मदनगोपाल र्मा मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि वाद ादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है ग्राम णेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 53 रकबा 84.14 बीघा, खसरा नंबर 54 कबा 130.06 बीघा, खसरा नंबर 57 रकबा 11.06 बीघा व खसरा नंबर 59 रकबा 1.09 बीघा में ादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्से की भूमि में संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। ग्राम रामनगर के उक्त खसरान की भूमि में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांति रहन रहेगा। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक

बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 11 सन् 2019 जारी की गई।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.
अहिदा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजेन्द्र विश्नोई पुत्र बीरबलराम		1. बीरबल पुत्र भारता जाति विश्नोई
2. बुधाराम पुत्र बीरबलराम		जाति विश्नोई निवासी राणेरी
3. प्रकाश विश्नोई पुत्र बीरबलराम		तहसील बाप जिला जोधपुर
जाति विश्नोई निवासी राणेरी		2. शाखा प्रबन्धक जो.स.भूमि विकास बैंक
तहसील बाप जिला जोधपुर		लि. शाखा फलोदी तह. फलोदी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 114/2019

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मदनगोपाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 19.11.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 53 रकबा 84.14 बीघा, खसरा नंबर 54 रकबा 130.06 बीघा, खसरा नंबर 57 रकबा 11.06 बीघा व खसरा नंबर 59 रकबा 1.09 बीघा की स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा एंव प्रतिवादी सं. 1 के पिता भारता पुत्र तुलछाराम के नाम रजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है तथा प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की जायन्दा संतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक निहित हो जाता है वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ उक्त वादग्रस्त भूमि में संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण ने वाद के साथ जमाबंदीया, नामांतरकरण की प्रतिलिपि, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजात् प्रस्तुत किये। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का अपने–अपने पैतृक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपने–अपने पैतृक हिस्से की

ूमि पर अपनी अलग–अलग रहवासी ढाणीया, पानी के टांके इत्यादि बना रखे है। उक्त हवासीय ढाणियों में वादीगण बारह ही मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। जिसका यह वाद पेश है। वादीगण ने वाद के अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता मदनगोपाल शर्मा ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया और इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुवे वादीगण का वाद को माफिक इस्तदुआ डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जो शामिल मिसल किये गये। वाद का प्रतिवादी की तरफ से विरोध नहीं किया गया इसलिये तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादीगण वाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। इसलिये पत्रावली बहस रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुवे ताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम राणेरी पटवार त्र राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 53 रकबा 84.14 बीघा, खसरा नंबर 54 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 57 रकबा 11.06 बीघा व खसरा नंबर 59 रकबा 1.09 बीघा भूमि जस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 के पूर्वजों के नाम र रही है तथा प्रतिवादी को उक्त भूमि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण तिवादी की जायन्दा संतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार धिनियम के तहत जन्म से ही हक निहित हो जाता है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादी 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्य है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र है वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है अतः गण का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जावे तो उन्हे कोई उजर ऐतराज नहीं है। गण का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस मनन किया गया बाद मनन एवं अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.09 18:37:36 IST
Reason: SelfAttested
Location:

भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी काश्त भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 35 मौजा राणेरी से साबित हैं। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जाईन्दा पुत्र है। इस बात को प्रतिवादी संख्या ने अपने इकबालिया जवाब में स्वीकार किया है वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही वादीगण का हक निहित होता है। वादीगण ने अपने वाद को सही साबित करते किये जाने हेतु पर्याप्त सबूत पेश किये है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण का पैतृक हिस्सा बनता है इसी अनुसार वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से न्यायालय स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 53 रकबा 84.14 बीघा, खसरा नंबर 54 रकबा 130.06 बीघा, खसरा नंबर 57 रकबा 11.06 बीघा व खसरा नंबर 59 रकबा 1.09 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्से की भूमि में संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। ग्राम रामनगर के उक्त खसरान की भूमि में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांति रहन रहेगा। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप जिला जोधपुर (राज.)

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.